

प्रेसनोट दिनांक 25.02.2022

1. दिनांक 24.02.22 को वादी उ0नि0 श्री हरिकेश कुमार थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन चालक दीपक मौर्य पुत्र दीपक मौर्य नि0 पाराखान अयोध्या आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनावी प्रचार करना।? जिसके संबंध में थाना कैण्ट? में मु0अ0सं0 64/22 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 24.02.22 को वादी उ0नि0 श्री अभिमन्यू शुक्ला थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि जगन्नाथ सरोज पुत्र अलगूराम नि0 शुक्ल का पुरवा जमुआ थाना इनायतनगर अयोध्या आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनावी प्रचार करना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 65/22 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 24.02.22 को वादी श्री राजेन्द्र यादव पुत्र भरतलाल नि0 तेलियागढ थाना गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि लालचन्द यादव पुत्र रामदुलारे यादव नि0 तेलियागढ थाना गोसाईगंज अयोध्या आदि 05 नफर अभि0गण द्वारा एक राय होकर वादी की दीवाल गिरा देना, विरोध करने पर घर में घुसकर गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 48/22 धारा 147, 452, 427, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 24.02.22 को वादी श्री अमित श्रीवास्तव प्रभारी उडनदस्ता टीम विधानसभा क्षेत्र गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सपा प्रत्याशी विधानसभा गोसाईगंज आदि 04 नफर अभि0गण द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनावी प्रचार करना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 76/25 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 24.02.22 को वादी श्री दयाशंकर सिंह प्र0नि0 तारुन अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि संत आलोक द्विवेदी प्रत्याशी आम आदमी पार्टी विधानसभा गोसाईगंज व अन्य कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी अभि0गण द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनावी प्रचार करना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 43/22 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 24.02.22 को वादी उ0नि0 श्री हरे कृष्ण थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हजारी लाल चौरसिया प्रत्याशी बहुजन मुक्ति राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी अयोध्या आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनावी प्रचार करना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 44/22 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।